

195
20 12 12

कार्यालय नगर परिषद, द्विण्डौन सिटी, जिला-करौली (राज.)

तानासमान नगरीय क्षेत्र (क्षेत्र भूमि का पैर-क्षेत्र काटने के लिए अधिनियम की अनुमति प्राप्त आवेदन)

नियम 2012 के नियम 22 के 90 'क' अंतर्गत भूमि का पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह दिसम्बर के 26 दिनांक नगर परिषद कार्यालय द्विण्डौन सिटी

91 सिटी जिला करौली (जिसे हमें इसके बाद नगर निकाय का कानून संशोधित किया गया है) कानून का पत्र को
श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर निवासी द्विण्डौन सिटी

निवासी औरमापुरी द्विण्डौन सिटी जिला करौली (जिसे हमें इसके बाद लीज धारक संशोधित किया गया है) द्विण्डौन का स्थान
इस इकाई में जहाँ कहीं प्रत्येक से पैसा अर्ज निकले, उनके उत्तरदायीकरण, निबंधन, प्रकल्प, प्रतिनिधि और मुनाफित
अंतर्गत भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि द्विण्डौन तथा विकास शुल्क की रकम का पट्टा 701788-2013

इन्फ्रस्ट्रक्चर सर्वे का लीज धारक (पट्टा धारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी सही नगर निकाय
के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों को लीज धारक द्वारा निष्पादित तथा कानून किसे
जायेगी के पृष्ठ में नगर निकाय इनके द्वारा लीज धारक को जमीन का उक्त मूल्य 1794000 जिसे इसके बाद उक्त मूल्य
काहकर संशोधित किया गया है। प्रदान और लीज करती है जो योजना 1794000 वर्ग गज में स्थित है और अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इनकी
को खसरा संख्या 671 क्षेत्रफल 1794000 वर्ग गज में स्थित है और अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इनकी
अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूप से वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शों में
सही रूप में दिखाया गया है, जिसे पूर्ण स्थायित्व सही स्वरूप में सहित किन्तु निम्नलिखित समान व प्रत्येक अकाउंट
संशोधन, प्रतिनिका, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अर्ज
काटने में लगेगा अर्थात :-

लीज धारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर
के प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूल्य 715000 रूपये प्रति वर्ग गज की दर
पर देना सही 1345000। उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किंगेय
नगरीय निर्धारण (साहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर अदा करना, परन्तु लीज धारक, यदि चाहे तो,
एक बारीय नगरीय निर्धारण (साहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें
राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर
होती है और इस प्रकार 8 वर्ष की लीज राशि 1076000 रु. की गयी। नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप
लीज धारक उक्त मूल्य पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और दिवस या दान या
अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या
यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टामुक्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त मूल्य का उपयोग केवल शिक्षण प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत
अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूल्य पर भवन का निर्माण किया
जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढाई जाये,
लीज धारक के द्वारा इस मूल्य पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीज धारक उक्त मूल्य को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन
और शर्त और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो
प्रथमतः उक्त मूल्य नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है।

लीज धारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की
कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं मूधक
आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित
होंगे।


Sub-Registrar
HINDAUN.

आयुक्त
नगर परिषद द्विण्डौन

नगर परिषद द्विण्डौन

SITE PLAN

GHANSHYAM SHARMA SACHIVY SHRI RADHA RANI BALIKA SHIKSHA SAMITI DAKRIPURU VARDHMAN NAGAR HINDALUN CITY DISTT. KARAUJIKAL, KH. NO. 67. PLOT AREA 16146 sq. ft. - 1500 sq. mt. - 1794 sq. yard.



DRAWN BY: [Signature] SIG. OF APPLICANT: [Signature] CHECKED BY: [Signature] APPROVED BY: [Signature]

31.12.20
31.12.20

आयुक्त
श्री परियोजना

[Signature]
[Signature]

